कार्यालय जिला परिषद, मधेपुरा

पत्रांक...325...../

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद मधेपुरा।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक.9/05/15.

विषय :- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुसंशा के आलोक में उपलब्ध कराई गई राशि का पुस्तकालय के लिये पुस्तक क्रय करने हेतु विभागीय पत्र को जिले के वैबसाईट पर प्रकाशन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुसंशा के आलोक में उपलब्ध कराई गई राशि का पुस्तकालय के लिये पुस्तक क्रय करने हेतु विभागीय पत्र जिसका पत्रांक 241 दिनांक 15.01.2014 को जिले के वैबसाईट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

9.5.2015

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, मधेपुरा।

पत्रांक 5प/वि-1-22/2013/251/प0 रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

प्रदीप कुमार, भा0प्र0से0,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।
सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी।
सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 15 01 2014।

विषय: चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में उपलब्ध कराई गई राशि से ग्राम पंचायत में पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का क्रय करने के संबंध में।

महाशय,

राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को हर क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासियों को शिक्षा के क्षेत्र में उन्मुख करने एवं उन्हें अपने चारों ओर दिन प्रति दिन होने वाली घटनाओं एवं समसामयिक विषयों एवं परिवर्तनों से अवगत कराने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक समझा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर एक मिनी पुस्तकालय स्थापित हो जहाँ विभिन्न आयु वर्गों के स्त्री, पुरूष एवं बच्चे फुरसत के क्षणों में बैठ कर अध्ययन कर सकें ताकि उनमें जागरूकता पैदा हो तथा उनका सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास हो सके। पुस्तकालय की देख-रेख एवं रखरखाव की जिम्मेवारी संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया की होगी।

2. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा प्रति ग्राम पंचायत 12000 रुपये वार्षिक की दर से ग्रामीण पुस्तकालय के लिए पुस्तकों/पत्र-पत्रिकाओं का क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। परन्तु पाया गया है कि उपर्युक्त राशि का उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। संभवतः ग्राम पंचायतें यह निर्णय नहीं ले पा रही कि किस प्रकार की पुस्तकें क्रय की जाए। सरकार का विचार है कि पंचायत स्तर के पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए जिनसे नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रकार की पुस्तकों का क्रय किया जा सकता है-

(1) भारत के महापुरुषों जैसे महात्मा गाँधी, राजेन्द्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, डॉ0 कलाम आदि की जीवनी एवं उनके विचार।

(2) भारत एवं विश्व के महान लोगों के भाषण

(3) स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों की जीवनियाँ।

(4) महात्मा गाँधी व स्वामी विवेकानन्द साहित्य।

(5) विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तकें जैसे मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, ग्रामीण रोजगार योजना, लघु सिंचाई, इन्दिरा आवास स्कीम आदि।

(6) भारत व विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक एवं राजनीतिक घटनाओं का बोध कराने वाली पुस्तकें।

(7) सिविल डिफेन्स और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर आम नागरिकों को जानकारी देने वाली पुस्तकें।

(8) सामान्य बीमारियों जैसे पीलिया, बुखार, एनीमिया, कालाजार, एड्स आदि बीमारियों के कारण और बचाव से संबंधित पुस्तकें।

(9) सामाजिक समरसता व साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाली पुस्तकें।

(10) नए नए रोजगार के अवसरों जैसे कुटीर उद्योग, अगरबत्ती बनाना, प्रिंटिंग प्रेस आदि की जानकारी देने वाली पुस्तकें।

(11) प्रसिद्ध लेखकों, यथा प्रेमचन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर, शरतचन्द्र, फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, आरसी प्रसाद सिंह, मिथिलेश्वर, गोपाल सिंह नेपाली, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि की प्रसिद्ध पुस्तकें।

(12) आम नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराने वाली पुस्तकें।

(13) सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि विषयों पर पुस्तकें।

(14) नागरिकों में प्राणायाम और योग विषयों पर जागरूकता फैलाने वाली पुस्तकें।

(15) पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तकें।

(16) सिंचाई और कृषि की नई–नई तकनीकों पर जानकारियों से संबंधित पुस्तकें।

(17) नागरिकों के लिए जीवन–कौशल व नैतिकता का बोध कराने वाली पुस्तकें।

(18) भारत के संविधान व आम नागरिकों के कानूनी अधिकारों की जानकारी देने वाली पुस्तकें।

(19) भारत के संतों और उनके प्रेरक विचारों से संबंधित पुस्तकें।

(20) महिला सशक्तीकरण के बारे में ज्ञान देने वाली पुस्तकें।

(21) ग्राम सभा के कर्तव्यों एवं अधिकारों की जानकारी देने वाली पुस्तकें।

(22) गाँव में छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास से संबंधित पुस्तकें।

(23) ग्रामीण हाट बाजार एवं मेलों से संबंधित पुस्तकें।

(24) ग्रामीण भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तकें।

(25) वयस्कों में शिक्षा को बढ़ावा देने वाली साक्षरता संबंधी पुस्तकें।

(26) गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों की जानकारी देने वाली पुस्तकें।

(27) सामाजिक कल्याण, निःशक्तों और मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित पुस्तकें।

(28) बच्चों के लिए उपयोगी पत्र–पत्रिकाएँ एवं मनोरंजक पुस्तकें।

पुस्तकों के अतिरिक्त हिन्दी के कम–से–कम दो एवं अंग्रेजी के एक दैनिक समाचार पत्र भी पुस्तकालय के लिए मासिक स्तर पर लिया जाना वांछनीय होगा। जिस ग्राम पंचायत में उर्दू जानने वाले पाठक मौजूद है, वहाँ पुस्तकालय के लिए एक उर्दू दैनिक भी लिया जा सकता है।

3. पंचायतें अगर चाहें तो केन्द्र सरकार की निम्न प्रतिष्ठानों से उपलब्ध पुस्तकों का क्रय कर सकती है–

(1) भारतीय पुस्तक न्यास, भारत (National Book Trust, India) नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्शनल एरिया, फेज II, वसंत कुंज, नईदिल्ली–110070, वेबसाईट–www.nbtindia.gov.in – यह संस्था किफायती मूल्य पर हिन्दी तथा अँग्रेजी सहित भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करती है। इस प्रकाशन संस्था द्वारा सामान्य पाठकों के लिए लोकोपयोगी विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण तथा भारत के विभिन्न पहलुओं पर पुस्तकें प्रकाशित की जाती है।

(2) प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार (Publication Division, Ministory of Publication and Broadcasting Government of India) सूचना भवन, सी०जी०ओ० कम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003. वेबसाईट–www.publicationdivision.nic.in– सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकाशन विभाग देश के वृहतम प्रकाशकों में से एक है। यह भारत के समृद्ध एवं बहुआयामी राष्ट्रीय संस्कृतियों एवं परम्पराओं से संबंधित पुस्तकें एवं पत्र–पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। यहाँ से प्रकाशित विषयों में कला, इतिहास, संस्कृति, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनियां, देश की जमीन एवं लोग, वनस्पति एवं प्राणिजात (flora and fauna), बाल साहित्य, विज्ञान, तकनीक एवं गाँधी साहित्य से संबंधित विषय सम्मिलित हैं। प्रकाशन विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व एवं सामाजिक उद्देश्यों से संबंधित लगभग 21 जर्नल (Journal) भी प्रकाशित किए जाते हैं, जिन में प्रमुख है हिन्दी में बच्चों के लिए प्रकाशित मासिक पत्रिका **"बाल भारती"**, हिन्दी एवं उर्दू में प्रकाशित प्रतिष्ठित पत्रिका **"आजकल"**, सुनियोजित विकास के संदेशों को जन–जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से प्रकाशन विभाग की मुख–पत्रिका **"योजना"**, ग्रामीण विकास से संबंधित पत्रिका **"कुरूक्षेत्र"** एवं रोजगार तथा नियोजन से संबंधित हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका **"रोजगार समाचार"**।

4. पंचायतें अपने क्षेत्र के मध्य/उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से भी सम्पर्क स्थापित कर अच्छी एवं जनोपयोगी पुस्तकों की सूची तैयार कर सकती हैं एवं चिह्नित राशि के अधीन उनका क्रय कर पुस्तकालय को समृद्ध बना सकती हैं। इन पुस्तकों का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए यह आवश्यक होगा कि पाठकों के लिए सुबह एवं शाम में सुविधानुसार समय का निर्धारण किया जाए ताकि लोग उक्त अवधि में पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों/पत्र–पत्रिकाओं का लाभ उठा सकें। क्रय की गई पुस्तकों/पत्र–पत्रिकाओं की पुस्तकालय–पंजी में प्रविष्टि कर उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत को स्वयं वहन करनी होगी।

5. जिला पदाधिकारी अपने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी यह निदेश निर्गत करेंगे कि वे अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें अच्छी पुस्तकों का क्रय करने में आवश्यक सुविधा एवं सहयोग उपलब्ध कराएंगे।

विश्वासभाजन,

(signature) 5.01.15

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 58 जि०प० मधेपुरा दिनांक 20.1.2015

प्रतिलिपि :–सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी ग्राम पंचायत के मुखिया/पंचायत सचिव को उक्त निदेश से अवगत कराते हुए तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करेंगे।

(signature)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, मधेपुरा।

22-1-15